प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 09.11.2021

कल दिनांक 08.11.2021 को थानाक्षेत्र महेशगंज के पूरेहरकेश में हुऐ अश्वनी कुमार शुक्ल हत्याकाण्ड से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद।

कल दिनांक 08.11.2021 को आवेदक बाल कृष्ण शुक्ल द्वारा थाना महेशगंज पर यह सूचना दी गई कि उनके भाई अश्वनी कुमार शुक्ल पुत्र त्रियुगी नारायण शुक्ल, निवासी पूरे हरिकेश थाना महेशगंज अपने उधार दिये गये पैसों को वापस लेने हरदयाल उर्फ दुम्मा पुत्र कल्लू बनवासी के पास गये थे जिस पर उक्त हरदयाल उर्फ दुम्मा द्वारा यह कहते हुये कि आज मैं तुम्हे पूरा पैसा दे देता हूँ अश्वनी शुक्ल के सिर पर डंडे से हमला कर दिया था जिससे अश्वनी शुक्ल के सिर में गम्भीर चोट आई थी, जिन्हें परिजनों द्वारा उपचार हेतु के0जी0एम0यू0 लखनऊ ले जाया गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0– 247/21 धारा– 307,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया। बाद में यह सूचना प्राप्त हुई कि घायल अश्वनी शुक्ल उपरोक्त की दौराने उपचार मृत्यु हो गयी, इस पर उक्त अभियोग को धारा 302, 406, 504, 506 भादवि में तरमीम किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष महेशगंज श्री आशुतोष त्रिपाठी मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के पटना नहर चौराहे के पास से उक्त मुकदमें से संबंधित ह्रदय लाल बनवासी उर्फ दुम्मा पुत्र कल्लू नि0 पूरेहरकेश थाना महेशगंज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अभियुक्त के घर से एक अदद लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. ह्रदयलाल उर्फ दुम्मा पुत्र कल्लू बनवासी निवासी पूरे हरिकेश थाना महेशगंज थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 01 अदद लकड़ी का डंडा (घटना में प्रयुक्त)।

पुलिस टीम– थानाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी मय हमराह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

15,000/– रू0 का इनामियां एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.11.2021 को जनपद के थाना हथिगवां से व0उ0नि0 श्री राम अधार सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र हथिगवां के नहर पुलिया बेंती चौराहे के पास से मु0अ0सं0 49/2021 धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273, भादवि, 60क, 60(2), 63 आबकारी अधिनियम, 63क कॉपीराइट अधिनियम व 103/104 व्यापार एवं पण्य चिन्ह वस्तु अधिनियम से संबंधित 15,000/–रू0 का इनामियां वांछित अभियुक्त रमेश चन्द्र पुत्र बुधराम नि0 रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01 रमेश चन्द्र पुत्र बुधराम नि0 रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम– व0उ0नि0 राम अधार सिह यादव मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

<u>दिनांक 06.11.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के ग्राम सराय जमुनी से अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली 37 ड्रम अवैध स्प्रिट की बरामदगी से सम्बन्धित अभियोग में 01 अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद के थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दिनांक 06.11.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के ग्राम सराय जमुनी के एक नवनिर्मित मकान से अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली 37 ड्रम अवैध स्प्रिट (प्रत्येक ड्रम 200 लीटर धारिता) बरामद की गई। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 606/2021 धारा 272, 273, 419, 420 भादंवि व धारा 60, 62 आबकारी अधिनियम का अभियोग 04 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मुकदमें से संबंधित पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी कम्र में आज दिनांक 09.11.2021 को उ0नि0 राजेश यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान के मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र रानीगंज के नहर पुलिया, सराय जमुनी के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित एक अभियुक्त अमित कुमार पटेल पुत्र बहादुर पटेल नि0 हथौड़ा सराय थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस टीम– उ0नि0 राजेश यादव मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।